

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण संख्या : 17/2018

सरकार जय लैण्ड होल्डर तहसीलदार मांगरोल



....प्रार्थी

♠ बनाम ♠

हरिवल्लभ पुत्र धन्नलाल वगैरह समस्त जातियान धाकड निवासीगण ग्राम बलदेवपुरा तह0
मांगरोल जिला बारां

....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

दायरा दिनांक: 05.09.2018

निर्णय दिनांक : 05.09.2018

पटवारी हल्का पाडलिया, भू अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) के जयें प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत इस आशय का प्राप्त हुआ है कि ग्राम बलदेवपुरा की जमाबंदी सम्पन्न 2073-76 में खाता नं0 124 पर खसरा नं0 111/0.12, 114/0.45, 118/0.08, 119/0.11, 146/0.17, 147/0.71 कुल किता 6 रकबा 1.64 है0 भूमि हरिवल्लभ आँकारलाल पि0 धन्नलाल, गंगाराम जगन्नाथ व कन्हैयालाल पि0 मन्नलाल, भंवरलाल मांगीलाल पुत्र माधो 1/20 मांगीलाल पुत्र मोत्या हि0 1/2 गणेश बेवा श्रीलाल देवीलाल पुत्र श्रीलाल हि0 1/2 बराबर नेनगा पुत्र कजोड 1/4 सीताराम, श्रीलाल पुत्र कजोड मांगी बेवा कजोड 1/4 हि0 बराबर कोम धाकड सा0 देह जुगलकिशोर पुत्र आँकारलाल, जमनालाल पुत्र हरिवल्लभ, परमानन्द पुत्र रामनारायण कस्तूरी बाई बेवा रामनारायण, कुन्जबिहारी ओमप्रकाश पुत्र चम्पालाल मोहनीबाई संतोष बाई, पुत्रियां चम्पालाल कैलाश बाई बेवा चम्पालाल महेन्द्र कुमार गोलू हितेश कुमार नाबा. पुत्रान शांतिलाल राजेश बाई पुत्री शांतिलाल, सुमित्राबाई बेवा शांतिलाल हि0 1/5 जाति धाकड सा0 देह दर्ज है उक्त खाते में हिस्सा सही दर्ज नहीं है। खाते का सम्पूर्ण हिस्सा एक नहीं हो रहा है, इसी प्रकार भू-प्रबंध विभाग (2044-63) द्वारा भी उक्त खाते में हिस्से सही दर्ज नहीं किये गये हैं।

पूर्व सेटलमेंट सम्वत (2014-23) में धन्नलाल व पन्नलाल व मन्नलाल व रामनारायण पि0 गोपीलाल 1/5 हि0 बराबर व भंवरलाल व मांगीलाल पि0 माधोलाल 1/20 हि0 बराबर व मोत्या वल्द आँकार हि0 1/4 नेनगा पुत्र कजोड 1/4 कोम धाकड सा0 देह के नाम खसरा नं0 67 रकबा 14 बिस्वा खसरा नं0 68 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नं0 86 रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा भूमि खाते दर्ज थी। उसके बाद जमाबंदी सम्वत 2035-38 में नामा0 संख्या 38 से मोत्या पुत्र आँकार हिस्सा 1/4 के स्थान पर मांगीलाल पुत्र मोत्या हिस्सा 1/2 एवं गणेश बेवा श्रीलाल देवीलाल पुत्र श्रीलाल हिस्सा 1/2 बराबर दर्ज किया गया।

उक्त नामा० से हिस्सा 1/2-1/2 गलत दर्ज हुआ है। मांगीलाल पुत्र मोत्या का हिस्सा 1/8 एवं गणेश बेवा श्रीलाल देवीलाल पुत्र श्रीलाल का हिस्सा 1/8 दर्ज किया जाना चाहिए था बाद सेटलमेंट नामा० संख्या 20 दिनांक 06.02.1996 से उक्त खाते में मृतक धन्नालाल के स्थान पर हरिबल्लभ औंकार लाल पि० धन्नालाल व मृतक मन्नालाल के स्थान पर नन्द लाल गंगाराम जगन्नाथ कन्हैयालाल पि० मन्नालाल का नाम दर्ज हुआ तथा नामा० संख्या 36 दिनांक 20.06.1998 से मृतक पन्नालाल के स्थान पर नटी बाई पत्नि रामप्रताप व पुष्पा बाई पत्नि बजरंगलाल का नाम दर्ज हुआ।

नामा० संख्या 160 दिनांक 23.11.2006 से उक्त खाते में नटी बाई पत्नि राम प्रताप व पुष्पा बाई पत्नि बजरंगलाल के स्थान पर जुगलकिशोर पुत्र औंकार लाल जमनालाल पुत्र हरिबल्लभ धाकड का नाम दर्ज हुआ है।

नामा० संख्या 168 दिनांक 22.08.2007 से मृतक रामनारायण के स्थान पर कस्तूरी बाई बेवा रामनारायण परमानन्द पुत्र रामनारायण कुंजबिहारी, ओमप्रकाश पुत्र चम्पालाल मोहनी बाई, संतोष बाई पुत्रियां चम्पालाल कैलाश बाई पत्नि चम्पालाल महेन्द्र, गोलू हितेष नाबा० पुत्र शांतीलाल राजेश बाई पुत्री शांतीलाल सुमित्रा बाई पत्नि शांती लाल का नाम दर्ज किया जाना स्वीकृत हुआ बाद सेटलमेंट नामा० संख्या 20, 36, 160, 168 व सेटलमेंट पूर्व जमाबंदी 2035-39 छायाप्रति व पूर्व सेटलमेंट जमाबंदी अनुसार हाल जमाबंदी खाता संख्या 124 सम्वत 2073-76 निम्न प्रकार दर्ज किया जाना उचित होगा।

हरिबल्लभ, औंकार लाल पि० धन्नालाल हि० 1/20 नन्दलाल गंगाराम, जगन्नाथ व कन्हैयालाल पि० मन्नालाल हि० 1/20 भंवरलाल, मांगीलाल पुत्र माधोलाल हि० 1/20 मांगीलाल पुत्र मोत्या हि० 1/8 गणेश बेवा श्रीलाल, देवीलाल पुत्र श्रीलाल हिस्स 1/8 नेनग्या पुत्र कजोड हिस्सा 1/4 सीताराम श्रीलाल पुत्र कजोड मांगी बेवा कजोड हिस्सा 1/4 हिस्सा बराबर जुगलकिशोर पुत्र औंकारलाल जमनालाल पुत्र हरिबल्लभ हिस्सा 1/20 परमानन्द पुत्र रामनारायण कस्तूरी बाई पत्नि रामनारायण हिस्सा 2/80 कुंजबिहारी, ओमप्रकाश पुत्र चम्पालाल मोहनी बाई संतोष बाई पुत्रियां चम्पालाल कैलाश बाई पत्नि स्व० चम्पालाल हिस्सा 1/80 महेन्द्र गोलू हितेष नाबा० पुत्रान शांतीलाल राजेश बाई पुत्री शांतीलाल सुमित्रा बाई पत्नि स्व० शांतीलाल हिस्सा 1/80 नाबा० वलि माता सुमित्रा बाई जाति धाकड सा० देह के नाम किता 6 रकबा 1.64 है० दर्ज किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त प्रकार का प्रार्थना पत्र जयें लैण्ड होल्डर प्राप्त होने पर प्रकरण दिनांक 05.09.2018 को दर्ज रजिस्टर किया गया।

अतः प्रार्थना पत्र के समस्त सलंगन दस्तावेजात 1. हाल नकल जमाबंदी 2073-76 खाता संख्या 125 2. नामान्तरकरण संख्या 20, 36, 160, 168 की प्रति 3. सेटलमेंट पूर्व जमाबंदी (2035-2038) 4. सेटलमेंट जमाबंदी 2014-23 छायाप्रति की रोशनी में प्रकरण का भली प्रकार अध्ययन, अवलोकन एवं मनन के उपरान्त आदेश है कि पुरानी प्रविष्टि ग्राम "ग्राम बल्देवपुरा की जमाबंदी सम्पन्न 2073-76 में खाता नं० 124 पर खसरा नं० 111/0.12, 114/0.45, 118/0.08, 119/0.11, 146/0.17, 147/0.71 कुल किता 6 रकबा 1.64 है० भूमि हरिबल्लभ औंकारलाल पि० धन्नालाल, गंगाराम जगन्नाथ व कन्हैयालाल पि० मन्नालाल, भंवरलाल मांगीलाल पुत्र माधो 1/20 मांगीलाल पुत्र मोत्या हि० 1/2 गणेश बेवा श्रीलाल देवीलाल पुत्र श्रीलाल हि० 1/2 बराबर नेनगा पुत्र कजोड 1/4 सीताराम, श्रीलाल पुत्र कजोड मांगी बेवा कजोड 1/4 हि० बराबर कोम धाकड सा० देह जुगलकिशोर पुत्र औंकारलाल, जमनालाल पुत्र हरिबल्लभ, परमानन्द पुत्र रामनारायण कस्तूरी बाई बेवा रामनारायण, कुंजबिहारी ओमप्रकाश पुत्र चम्पालाल मोहनीबाई संतोष बाई, पुत्रियां चम्पालाल कैलाश बाई बेवा चम्पालाल महेन्द्र कुमार गोलू हितेश कुमार नाबा. पुत्रान शांतिलाल राजेश बाई पुत्री शांतिलाल, सुमित्राबाई बेवा शांतिलाल हि० 1/5 जाति धाकड सा० देह" को हजफ कर नवीन इन्द्राज" हरिबल्लभ, औंकार लाल पि० धन्नालाल हि० 1/20 नन्दलाल गंगाराम, जगन्नाथ व कन्हैयालाल पि० मन्नालाल हि० 1/20 भंवरलाल, मांगीलाल पुत्र माधोलाल हि० 1/20 मांगीलाल पुत्र मोत्या हि० 1/8 गणेश बेवा श्रीलाल, देवीलाल पुत्र श्रीलाल हिस्सा 1/8 नेनग्या पुत्र कजोड हिस्सा 1/4 सीताराम श्रीलाल पुत्र कजोड मांगी बेवा कजोड हिस्सा 1/4 हिस्सा बराबर जुगलकिशोर पुत्र औंकारलाल जमनालाल पुत्र हरिबल्लभ हिस्सा 1/20 परमानन्द पुत्र रामनारायण कस्तूरी बाई पत्नि रामनारायण हिस्सा 2/80 कुंजबिहारी, ओमप्रकाश पुत्र चम्पालाल मोहनी बाई संतोष बाई पुत्रियां चम्पालाल कैलाश बाई पत्नि स्व० चम्पालाल हिस्सा 1/80 महेन्द्र गोलू हितेश नाबा० पुत्रान शांतिलाल राजेश बाई पुत्री शांतिलाल सुमित्रा बाई पत्नि स्व० शांतिलाल हिस्सा 1/80 नाबा० वलि माता सुमित्रा बाई जाति धाकड सा० देह के नाम किता 6 रकबा 1.64 है०" दर्ज का राजस्व रेकार्ड में अंकन कर पालना से अन्दर 15 योम में अवगत करावें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर शुमार से कम होकर दाखिल दफ्तर होवे।

निर्णय आज दिनांक 05.09.2018 को सरेइजलास मजमेंआम में